संख्या: **14/17/63**
सूचना प्राप्ति दिनांक: **16/12/2023**
पावती समय: **05:47 PM**

नियम-73 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

विषय :- हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया व् कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73 के तहत प्रदेश में बिगढ़ती कानून व्यवस्था बारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव|

मंत्री:- श्री मनोहर लाल

प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:-

प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:

श्रीमती किरण चौधरी(58) , सदस्य

सेवा में:

सचिव
हरियाणा विधान सभा
Delhi-1

महोदय,

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि :

प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है की आप आदमी का जीना दूभर हो चूका है। आज के दिन प्रदेश में चोरी की वारदातें गोलीबारी, बलात्कार, हत्या, फिरौती और लूटपाट जैसे अपराध निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश में दिन-प्रतिदिन कोई-न-कोई अपराध की घटनाएँ घटित हो रही है। नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करना प्रत्येक सर्कार की पहली जिम्मेदारी होती है लेकिन हरियाणा सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रदेश देश में असुरक्षित पांच राज्यों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आ गया है।

प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात करें तो इस सम्बन्ध में सरकार के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। पिछले वर्ष की NCRB रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरे देश में महिला अपराध 0.5% बढे जबकि हरियाणा में 57% अपराध दर्ज हुए और हरियाणा देश का तीसरा सबसे ज्यादा अपराधिक प्रदेश बन गया है। प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध दर भी 50% बढ़ी है जबकि पूरे देश में इसकी दर 9% है। अपराधी इस कदर निरंकुश हो रखे हैं की एक महिला को दिनदहाड़े चरखी दादरी में कॉलेज रोड से अपहृत कर लिया। अभी हाल ही में सिवानी क्षेत्र के गाँव घंघाला के समीप गैंगवार हुयी।

अध्यक्ष महोदय में आपसे अनुरोध करती हूँ की सरकार इस बारे में अपना पूर्ण वक्तव्य विवरण सहित दें जिससे आम लोग भयरहित होकर प्रदेश में जीवन यापन कर सकें और कानून का शिकंजा अपराधियों पर नकेल डाल सके क्योंकि सरकार अभी तक ऐसा करने में असफल रही है।

भवदीय
श्रीमती किरण चौधरी(58)
सदस्य
16/12/2023 05:47 PM

This document is computer generated and signature is not required.

कार्यालय प्रयोग हेतु